मारे "अ"

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

जी.पी. / ए.जी.पी. की जिलेवार जानकारी

29 मंदसौर (Mandsor)

क्रं.	जिला मुख्यालय	तहसील	जी.पी नाम जन्मतिथि	62 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक	नियुक्ति दिनांक/अवधि	रिमार्क	ए.जी.पी नाम जन्मतिथि	62 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक	नियुक्ति दिनांक/अवधि	रिमार्क	नोट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	मंदसौर		विकास कुमार वोहोरा 05.02.1964		22.09.2018		भगवतीलाल शर्मा 10.05.1977		22.09.2018		
		गरोठ	—	—	—		श्री सीताराम पाटीदार 01.01.1958	01.01.20	17.09.14	नियम 20 के अंतर्गत कार्यरत	
		भानपुरा	—	—	—		हरिबल्लभ पाटीदार 01.03.1971		18.09.2018	एक वर्ष	

पारि० "घ"

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 3/10/2012.

फा0क0 17 (ई)60/95/21–ब(दो), राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.11.2006 को अतिष्ठित करते हुए शासकीय अभिभाषक, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तथा पैनल लायर्स, जो शासकीय कार्य के लिये मध्यप्रदेश में नियुक्त किये जाते हैं, को दिनांक 01.10.2012 से निम्न लिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना निश्चित करता है:–

(1) (अ) शासकीय अभिभाषक, एवं लोक अभियोजक —	(क) रू0 400/– (रू0 चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये। (ख) रू0 800/– (रू0 आठ सौ) प्रति दिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये। अधिकतम रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) प्रतिमाह।
(ब) अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक —	(क) रू0 400/–(रू0 चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए। (ख) रू0 800/– (रू0 आठ सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए। अधिकतम रू0 18,000/– (रू0 अठारह हजार) प्रतिमाह
(स) शासकीय अभिभाषक /लोक अभियोजक/ अति0 शास0 अभिभाषक /अति0 लोक अभियोजक रिटेनर फीस	रू0 3,000/–(रू0 तीन हजार) प्रतिमाह

(2) पैनल लायर्स जो शासकीय कार्य हेतु लोक अभियोजक/अति0 लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में कार्य करते है:–

(1) आपराधिक प्रकरणों में सत्र प्रकरणों/फौजदारी अपील पुनरीक्षण (सत्र न्यायालयों में) —	(क) रू0 350/– (रू0 तीन सौ पच्चास) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए। (ख) रू0 650/–(रू0 छः सौ पच्चास) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए।
(3) पैनल लायर्स का सत्र न्यायालयों में अंकिचन अभियुक्तों का पक्ष समर्थन हेतु शुल्क	रू0 650/–(रू0 छः सौ पच्चास) प्रति प्रभावी तिथि अधिकतम रू0 4,500/–(रू0 चार हजार पांच सौ) प्रति प्रकरण अंतिम निर्णय होने पर।

2..........

निम्नलिखित परिस्थितियों में पैनल लायर्स को प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगाः–

(1) नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर,
(2) किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर,
(3) अभियुक्त / गवाह के अनुपस्थित होने के कारण,

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या–29–न्याय प्रशासन–2014–न्याय प्रशासन कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता–3572–मुफस्सिल स्थापना की मद–31–003 "अभिभाषकों की फीस" के अंतर्गत विकलनीय होगा।

उक्त स्वीकृति आदेश में वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक 914 / 1032 / ब–8 / चार / 12 दिनांक 04.09.2012 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के0डी0 खान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ0कमांक 1(ई) / 60 / 95 / 21–ब(दो), भोपाल, दिनांक 3 / 10 / 2012.

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल बजट 8 मंत्रालय की ओर उनके यू0ओ0 क0 914 / 1032 / बी–8 / चार दिनांक 04.09.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित,
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
3. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के अगले प्रकाशन में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु
4. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, म0प्र0,
5. समस्त जिला दण्डाधिकारी, म0प्र0,
6. निज सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल
7. निज सचिव, विधि मंत्री जी म0प्र0, भोपाल
8. समस्त शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक (म0प्र0),
9. बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अनिल वर्मा) 3/10/12
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,